राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 623/2024

डॉ. विजय सिंह फौजदार **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) एवं पंचायत राज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. डॉ. रवि शेखावत, वर्तमान में अपीलार्थी के स्थान पर सीएमएचओ प्रथम जयपुर पदस्थापित।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.02.2024
आदेश की दिनांक : 02.04.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता
प्रत्यर्थी सं. 3 की ओर से : श्री आशीष सक्सेना, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने संशोधन अपील प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर बहस सुनी गई एवं शामिल मिसल कर रिकार्ड पर लिया गया।

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रथम जयपुर के पद पर कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है। जबकि अपीलार्थी का स्थानान्तरण नहीं किया गया है। अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति चिकित्सा अधिकारी के पद पर हुई थी और उसे वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नति दी गई। तत्पश्चात् उप निदेशक के पद पर तथा उसके बाद प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी ग्रेड पे 8700 के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई। अपीलार्थी को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदस्थापित किया गया। राज्य सरकार के आदेश दिनांक 15.03.2022 के अनुसार उक्त पद पर पदस्थापित होने के लिये कम से कम ग्रेड पे 7600 जो उप निदेशक/वरिष्ठ विशेषज्ञ होना तथा बीसीएमओ या डिप्टी सीएमओ के पद का 2 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है। उक्त योग्यताएं पूर्ण रखने के आधार पर अपीलार्थी को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदस्थापित किया गया। जबकि निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 की नियुक्ति वर्ष 2015 में हुई है और उसे एक ही पदोन्नति वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद की प्रदान की गई है और योग्य पदस्थापन आदेश दिनांक 03.08.2022 में निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 का नाम नहीं जोडा गया था क्योंकि उक्त योग्यता पूर्ण नहीं होने के कारण नाम नहीं जोडा गया और इस प्रकार उक्त नियमों की अनदेखी करते हुये प्रत्यर्थी विभाग द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को आलोच्य आदेश के द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम के पद पर पदस्थापित किया गया है। जबकि संबंधित कार्यालय में उक्त पद का मात्र एक ही पद है और जिस पर अपीलार्थी पदस्थापित है, परंतु अपीलार्थी का स्थानान्तरण किये बिना निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 का स्थानान्तरण अपीलाथी के स्थान पर किया गया है, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है। उनका कथन है कि विभाग अपीलार्थी को बिना स्थानान्तरण किये कार्यमुक्त करने जा रहा है, जो नियम विरूद्ध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 3284/2024 डॉ. राजकुमार डांगी बनाम राजस्थान राज्य में पारित आदेश दिनांक 15.03.2024 जिसमें इस तरह के पदस्थापन को गलत माना है एवं अधिकरण द्वारा भी ऐसे स्थानान्तरण आदेशों को गलत मानते हुये स्थगन आदेश जारी किये गये हैं। निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने के आशय से आदेश जारी किया गया है, जो पूर्ण रूप से विधि एवं नियमों के विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावे और अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी का पद राज्य स्तरीय है। उसका स्थानान्तरण राज्य में कहीं भी सक्षम अधिकारी द्वारा किया जा सकता है। आवश्यकता के अनुसार जनहित एवं प्रशासनिक कारणों से अपीलार्थी की सेवाएं कहीं पर भी ली जा सकती हैं। निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को प्रशासनिक स्तर से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम के पद पर पदस्थापित किया गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह बहस की है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 का स्थानान्तरण नियमानुसार किया गया है और निजी प्रत्यर्थी एमडी (पीएसएम) की योग्यता रखता है। विभाग द्वारा आदेश दिनांक 27.02.2024 एवं 28.02.2024 जारी किये गये हैं, जिसमें अपीलार्थी को अग्रिम पदस्थापन हेतु निदेशालय में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रथम जयपुर के पद पर कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है। जबकि अपीलार्थी का स्थानान्तरण नहीं किया गया है। जहां तक अपीलार्थी को स्थानान्तरण किये बिना अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को पदस्थापित किये जाने का प्रश्न है, आलोच्य आदेश दिनांक 20.02.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है कि आलोच्य आदेश में अपीलार्थी का नाम अंकित नहीं किया गया है और निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 डॉ. रवि शेखावत को अपीलार्थी के स्थान पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम के पद पर पदस्थापित किया गया।

स्थानान्तरण संबंध में विचारणीय बिंदु निम्न प्रकार हैं :–

1. अपीलार्थी वर्तमान में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम के पद पर पदस्थापित है और उक्त पद पर पदस्थापन हेतु राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम, 1963 (दिनांक 30.11.2023 तक संशोधित) के शेड्यूल्ड 1 के क्रम संख्या 5 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि सीएमएचओ के पद के लिये 6600 ग्रेड पे पर वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी/डिप्टी सीएमएचओ का 6 वर्ष का अनुभव अनिवार्य है। परंतु आदेश दिनांक 09.09.2021 के अवलोकन से स्पष्ट है कि निजी प्रत्यर्थी श्री रवि शेखावत, जिसे वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर डीएसीपी के अंतर्गत दिनांक 01.04.2020 से उक्त आदेश के द्वारा पदोन्नत किया गया है, जिनका उक्त आदेश के अनुसार लगभग 3 वर्ष का ही वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद का अनुभव है। जबकि सीएमएचओ पद के लिये 6 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। इस प्रकार हमारे मत में निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 डॉ. रवि शेखावत सीएमएचओ पद के लिये पूर्ण अनुभव नहीं रखते हुये विभाग द्वारा सीएमएचओ पद पर पदस्थापित किया जाना उचित प्रकट नहीं होता है। ऐसे प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 3284/2024 डॉ. राजकुमार डांगी बनाम राज्य में पारित आदेश दिनांक 15.03.2024 जिसमें राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 08.09.2015 के विपरीत जाकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर अपीलार्थी से कनिष्ठ कार्मिक को पदस्थापित किया गया था, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश में गलत पदस्थापन माना है, जो निम्न प्रकार है :–

> *"Taking note of Annexure-8, it is noted that the respondent-State, by its own volition, has prescribed the minimum eligibility of 20 years of service, along with a pay scale of 8,600/-. At the same time, it also prima facie appears that the respondent no.4, without due experience, has been appointed on the post of CMHO, with malice, as the fact qua the respondent no. 4 being petitioner's junior sans requisite experience, is undisputed.*
>
> *Therefore, this Court deems it appropriate to direct the respondents to maintain the petitioner as CMHO, Jhunjhunu till the further orders of this Court."*

2. आलोच्य स्थानान्तरण आदेश में अपीलार्थी का नाम भी अंकित नहीं किया गया है और अपीलार्थी को अन्यत्र स्थानान्तरण किये बिना ही निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को पदस्थापित कर दिया गया है, जबकि निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 सीएमएचओ पद के लिये पूर्ण अनुभव नहीं रखता हुये भी पदस्थापित किया गया है, जो हमारे मत में विभाग

द्वारा आलोच्य आदेश नियमों के विरूद्ध जारी किया जाना प्रकट होता है।

3. आदेश दिनांक 09.09.2021 के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी को डीएसीपी के तहत प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया है और जबकि निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 आदेश दिनांक 09.09.2021 के द्वारा डीएसीपी के तहत वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर दिनांक 01.04.2020 से पदोन्नत किया गया है, जो अपीलार्थी से कनिष्ठ है और स्थानान्तरण आदेश की पालना में आदेश दिनांक 29.02.2024 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम के पद पर कार्यग्रहण किया।

4. आदेश दिनांक 28.02.2024 जिसमें यह अंकित किया गया है कि *विभागीय आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा स्थानान्तरित अधिकारियों में से जिनका पदस्थापन जिस पद पर किया गया किंतु उस पद पर पूर्व से पदस्थापित अधिकारी का नवीन स्थान पर पदस्थापन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में पूर्व से पदस्थापित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे तुरंत प्रभाव से पदस्थापन हेतु निदेशालय में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करें।* इससे स्पष्ट है कि विभाग द्वारा आदेश में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा स्थानान्तरित अधिकारियों में से, का मतलब है कि जिन अधिकारियेां के आदेश दिनांक 22.02.2024 में स्थानान्तरण किया गया है, उन्हें आदेशो की प्रतीक्षा में रखा गया है। जबकि आलोच्य आदेश में अपीलार्थी का नाम ही अंकित नहीं है। यद्यपि आदेश दिनांक 28.02.2024 द्वारा इसे स्पष्ट किया जा चुका है। परंतु यह आदेश स्थानान्तरणों पर पूर्ण रूप से लगे प्रतिबंध के बाद जारी किया गया है, जो नियम विरूद्ध है। राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम 25क के परिशिष्ट–ix में आदेशों की प्रतीक्षा में रखे जाने का निम्नलिखित प्रावधान किया गया है :–

> *''**नियम 25क :– पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा के दौरान वेतन** : यदि एक राज्य कर्मचारी को आवश्यक रूप में नियम 7(8)(ख)(iii) के नीचे दी गई टिप्पणी के अन्तर्गत पद–स्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखा जाता है तो वह उस वेतन एवं भत्ते का अधिकारी है जो वह पुराने पद का कार्यभार छोड़ने के पूर्व प्राप्त कर रहा था। उसे वाहन भत्ता या स्थायी यात्रा भत्ता, पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा अवधि में नहीं मिलेगा।*
>
> ***राजस्थान सरकार का निर्णय***
>
> *1. सामान्यतः निम्न परिस्थितियों में राज्य कर्मचारियों को आवश्यक तौर पर पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखा जाता है :–*
>
> *(1) अवकाश से लौटने पर।*

(2) भारत के भीतर प्रतिनियुक्ति से अपने पैतृक विभाग में प्रत्यावर्तन पर।

(3) प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद या विदेशी कर्त्तव्यभार पूरा करने के बाद बाहर से वापिस लौटने पर।

(4) भारत के भीतर ही प्रशिक्षण से वापिस लौटने पर।

(5) नियुक्तिकर्त्ता अधिकारी के निर्देश पर पुराने पद का चार्ज देने पर पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा करना।

(6) दूसरे पद पर स्थानान्तरण होने पर अधिकारी को स्वीकार नहीं करना।

(7) राज्य कर्मचारी को पदावनति से बचाने के लिए।''

5. आलोच्य आदेश में अपीलार्थी के स्थान पर अपीलार्थी से कनिष्ठ जो नियमानुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर पदस्थापित योग्य भी नहीं है, उसे पदस्थापित किया गया है। इससे स्पष्ट है कि निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने के आशय से उसका पदस्थापन किया गया है।

6. राज्य सरकार के अधिसूचना दिनांक 08.02.2013 के अनुसार उप निदेशक/सीएमएचओ के पद के लिये 6 वर्ष का अनुभव 7600 ग्रेड पे का होना अनिवार्य है। इसी प्रकार राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 15.03.2022 के द्वारा भी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद के लिये आवश्यक अनुभव उप निदेशक/वरिष्ठ विशेषज्ञ (12 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने पर) द्वितीय डीएसीपी का लाभ (7600 ग्रेड पे) प्राप्त करने के बाद सीएमएचओ पद के लिये होना परिपत्र में उल्लेख किया गया है। जबकि निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 उक्त ग्रेड पे का अधिकारी/कार्मिक नहीं है। निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 मात्र वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी है, जिसका अनुभव भी केवल 3 वर्ष का है। इस प्रकार निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 डॉ. रवि शेखावत सीएमएचओ पद के लिये योग्य अधिकारी/कार्मिक नहीं है और उक्त पद पर विभाग द्वारा पदस्थापित किया जाना सेवा नियमों एवं विधि के विपरीत है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी किया गया आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 एवं 27.02.2024 राजस्थान सेवा नियमों एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत है। अतः आदेश दिनांक 22.02.2024 की पालना में अपीलार्थी को कार्यमुक्त न किया जावे और आलोच्य आदेश दिनांक 27.02.2024 अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जाता है तथा अपीलार्थी को वहीं पर कार्यरत रखा जावे, जहां चुनौती आदेश जारी होने से पूर्व कार्यरत था एवं वेतन आहरण भी उसी स्थान से किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य